न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– रिछपाल सिंह बुरड़क आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 13/15 (प्रार्थना–पत्र)
जीसीएमएस नम्बर :– 2015/00111

उनवान

1. भौंदूराम पुत्र श्री नेकराम (मृतक)
   - 1/1 जसमत
   - 1/2 इन्दल सिंह
   - 1/3 पीतम सिंह
   - 1/4 जलसिंह

   पि0 भौदूराम

   - 1/5 लाडो देवी
   - 1/6 लक्ष्मी देवी
   - 1/7 कमलेश देवी
   - 1/8 भूदेवीसिंह
   - 1/9 मन्जू देवी

   पुत्रीया भौदूराम

   अकवाम जाट निवासी खैमरा तहसील व जिला भरतपुर।

.....अपीलान्टान

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर।

.....रेस्पोडेन्ट

प्रार्थना–पत्र पुनरावलोकन अंतर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध अपील सं. 121/2014 उनवानी भौंदूराम बनाम राजस्थान सरकार, में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.02.2015 द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

अभिभाषकगण :–

1. वकील प्रार्थीगण श्री विजय सिंह कुन्तल उपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 26.05.2026**

1. प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना–पत्र पुनरावलोकन अंतर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, न्यायालय हाजा द्वारा अपील सं. 121/2014 उनवानी भौंदूराम बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.02.2015 के विरुद्ध पेश किया है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया था। दावा प्रस्तुत कर उक्त भूमि पर गैरखातेदार से खातेदार घोषित करने का निवेदन किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दावा वादीगण खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री के विरुद्ध अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में एक अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

1955 के तहत पेश की गई थी। जिसे न्यायालय हाजा द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया एवं रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। जिसके बाद न्यायालय हाजा ने उक्त अपील में दिनांक 20.02.2015 को निर्णय पारित कर अपील अपीलान्ट खारिज कर दी। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह प्रार्थना–पत्र पेश किया है।

3. प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्ट्स को जरिये समन तलब किया गया। अपीलान्ट/प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री विजय सिंह कुन्तल ने वकालतनामा प्रस्तुत किया एवं रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थीगण बाबजूद तामील अनुपस्थित रहें।

4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/ अपीलान्ट की बहस सुनी गयी।

5. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि न्यायालय हाजा द्वारा इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया कि अपीलार्थी ने अपने दावे व अपील के समर्थन में प्रलेखीय साक्ष्य जमाबन्दी व खसरा गिरदावरी प्रस्तुत किये है जिनमें कृषक के खाते में पहले आवेदक/अपीलार्थी के पिता नेकराम व उनकी मृत्यु के बाद आवेदक विवादित आराजी पर गैरखातेदार काश्तकार अंकित है। आवेदक के पिता नेकराम की मृत्यु के बाद नामान्तरकरण सं. 686 दिनांक 02.08.2009 को आवेदक के हक में स्वीकृत किया है। इस नामान्तरकरण विरासत से अपीलार्थी का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त होना स्पष्ट प्रमाणित होता है। न्यायालय हाजा द्वारा उक्त बिन्दू को अपने निर्णय में विचारित नहीं किया है एवं भूल से छोड़ दिया है। जो एक महत्वपूर्ण त्रुटि निर्णय न्यायालय हाजा में विद्यमान है। इसलिए निर्णय पुनर्विचार किये जाने योग्य है। अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेज वादपत्र सं. 618/08 शीर्षक विनोद कुमार बनाम भौंदूराम को इस उद्देश्य से प्रस्तुत किया है कि उक्त विनोद कुमार को प्रस्तुत प्रकरण नीचे के न्यायालय ने पक्षकार बनाने से इन्कार कर दिया और उसका कोई हित आराजी मुत0 मे निहित होना नहीं पाया गया है। न्यायालय हाजा द्वारा इस बिन्दू पर भी गौर नहीं किया है। काननून आवंटन आदेश की व उसके आधार पर हुए आवंटन की प्रतिलिपियां पेश करना जरुरी नहीं है दूसरे उपरोक्त प्रलेख भी भू–प्रबंध में मौजूद भी नहीं है क्योंकि पुराने अभिलेख नष्ट कर दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त दस्तावेज की कमी मानकर अन्य जमाबन्दी व खसरा गिरदावरी मे गैरखातेदार के अंकन गलत रुप से किये गये हैं यह भी एक महान त्रुटि न्यायालय हाजा के निर्णय में है। जो बयनामा विनोद कुमार एवं न्यायालय हाजा द्वारा पेश किया गया है वह भी विवादास्पद मामले से बाहर है, आवेदक के पिता नेकराम आराजी के गैरखातेदार काश्तकार काबिज रहे थे उन्हें आराजी का हस्तान्तरण करने का धारा 41 राज. काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार प्राप्त नहीं रहा है। इस प्रकार न्यायालय हाजा से यह कानूनी त्रुटि निर्णय के देखने से स्पष्ट प्रतीत होती है। एक गैरखातेदार भी कृषक की परिभाषा में आता है धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार स्वतः ही खातेदार हो गया जिसे आवेदक ने उत्तराधिकार मे प्राप्त किया है। आवेदक भी विवादित आराजी पर बहैसियत खातेदार कृषक काबिज है इस प्रकार भी न्यायालय हाजा का निर्णय त्रुटिपूर्ण है।

विद्वान अधिवक्ता आवेदक/अपीलान्ट ने अपनी बहस के अन्त में निवेदन किया कि पुनर्विचारण याचिका आवेदक स्वीकार की जाकर निर्णय एवं डिक्री न्यायालय हाजा दिनांक 20.02.2015 को पुनर्विचार किया जाकर निरस्त किया जावे तथा अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर आवेदक को खातेदार घोषित किया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

6. प्रार्थना–पत्र पुनरावलोकन न्यायालय हाजा के आदेश व डिक्री दिनांक 20.02.2015 के विरुद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 13.04.2015 को पेश किया गया। जो अन्दर मियाद है।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/आवेदक की बहस पर मनन किया। अपीलार्थी ने हस्तगत पुनर्विलोकन प्रार्थना–पत्र में मुख्य आधार यह लिया है कि आवेदक के पिता नेकराम की मृत्यु के बाद नामान्तरकरण सं. 686 दिनांक 02.08.2009 को आवेदक के हक में स्वीकृत किया है। इस नामान्तरकरण विरासत से अपीलार्थी का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त होना स्पष्ट प्रमाणित होता है। न्यायालय हाजा द्वारा उक्त बिन्दू को अपने निर्णय में विचारित नहीं किया है एवं भूल से छोड़ दिया है। अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेज वादपत्र सं. 618/08 शीर्षक विनोद कुमार बनाम भौंदूराम को इस उद्देश्य से प्रस्तुत किया है कि उक्त विनोद कुमार को प्रस्तुत प्रकरण नीचे के न्यायालय ने पक्षकार बनाने से इन्कार कर दिया और उसका कोई हित आराजी मुत0 मे निहित होना नहीं पाया गया है। काननून आवंटन आदेश की व उसके आधार पर हुए आवंटन की प्रतिलिपियां पेश करना जरुरी नहीं है दूसरे उपरोक्त प्रलेख भी भू–प्रबंध में मौजूद भी नहीं है क्योंकि पुराने अभिलेख नष्ट कर दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त दस्तावेज की कमी मानकर अन्य जमाबन्दी व खसरा गिरदावरी मे गैरखातेदार के अंकन गलत रुप से किये गये हैं।

पुनरावलोकन का दायरा सीमित है तथा पुनरावलोकन केवल निम्न आधारों पर किया जा सकता है :–

(I) जब व्यथित पक्षकार की किसी नवीन महत्वपूर्ण साक्ष्य का पता लगे जो आदेश या डिक्री पारित करते समय उचित प्रयास के उपरान्त भी

(क) उसके ज्ञान में नहीं था, जो या

(ख) उसके द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था,

(II) ऐसी त्रुटि जो अभिलेख के मुख पर स्पष्टतः प्रकट होती हो, या

(III) किसी अन्य पर्याप्त कारण से

प्रार्थीगण ने अपने पुनरावलोकन प्रार्थना–पत्र में यह कथन किया है कि आवेदक ने अपने दावे एवं अपील के समर्थन में प्रलेखीय साक्ष्य जमाबन्दी व खसरा गिरदावरी प्रस्तुत किए हैं जिसमें कृषक के खाने से पहले आवेदन/अपीलार्थी के पिता नेकराम व बाद में मरणोपरान्त आवेदक विवादित आराजी पर गैरखातेदार काश्तकार अंकित है, इस पर श्रीमान द्वारा ध्यान नहीं किया गया, इसलिए आदेश श्रीमान त्रुटिपूर्ण है। अन्य जो आधार लिए गए हैं उनमें नामान्तरकरण सं. 686 दिनांक 02.08.2009 को आवेदक के हक में विरासत से स्वीकृत होना, वाद सं. 618/08 विनोद कुमार बनाम भौंदूराम का वादपत्र दस्तावेज पेश करना कि नीचे के न्यायालय ने पक्षकार बनाने से इन्कार करना एवं उसका कोई हित आराजी मुतनाजा में नहीं होना, विनोद कुमार का बयनामा भी विवादास्पद मामले से बाहर है क्योंकि धारा 41 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आवेदक के पिता नेकराम गैरखातेदार दर्ज थे उनको हस्तान्तरण का अधिकार नहीं था। गैरखातेदार भी कृषक की परिभाषा में आने से धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार स्वतः ही खातेदार हो जाना अंकित किया है।

उपर्युक्त सभी आधार यह सिद्ध नहीं करते हैं कि ये ऐसी त्रुटियां हैं जो अभिलेख के मुख पर स्पष्टतः प्रकट होती हो। अभिलेख के मुख्य पर स्पष्टतः प्रकट त्रुटि के सम्बन्ध में निम्न न्यायिक दृष्टांत में स्पष्ट किया गया है :–

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

"यह वह त्रुटि है जो अभिलेख को देखने मात्र से स्पष्टतः दृष्टिगोचर होती है। इसे जानने के लिए तर्क–वितर्क की विशद प्रक्रिया में से न तो गुजरना पड़ता है न ही विशेष मानसिक कौशल का सहारा लेना पड़ता है तथा न ही कानून का गहराई से परीक्षण करना पड़ता है।" 1955 AIR (SC) 455

न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 20.02.2015 को अपील की सुनवाई करते हुए अपील अन्तिम रुप से निर्णित कर दी गयी थी। न्यायालय हाजा के निर्णय के अवलोकन से ऐसी कोई त्रुटि होना प्रतीत नहीं होता है जो अभिलेख के मुख पर स्पष्टतः दिखाई देती हो। पुनरावलोकन के तहत एक निर्णित प्रकरण पर पुनः नये सिरे से सुनवाई नहीं होती है अर्थात गुणावगुण पर पारित निर्णय में इसके तहत न तो पुराने तर्को को दोहराया जा सकता है एवं न ही नवीन तर्क उठाये जा सकते हैं। यदि किसी बिन्दु पर विचार कर लिया गया है और विचार करके कोई निर्णय ले लिया गया है तो फिर उस बिन्दु पर पुनरावलोकन के माध्यम से दुबारा विचार करने के लिए प्रार्थना नहीं की जा सकती है। पुनरावलोकन एक निर्णित प्रकरण पर पुनः नये सिरे से सुनवाई नहीं है। पुनरावलोकन का परिक्षेत्र केवल सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 47 नियम 1 तक सीमित है। न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.02.2015 पर कोई टिप्पणी नहीं करते हुए अगर प्रार्थीगण द्वारा निर्णय को त्रुटिपूर्ण माना जाता है तो भी इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने सुरेन्द्र कुमार व अन्य बनाम मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अन्य, 2005 (1) आर.आर.डी. 545 में यह प्रतिपादित किया है कि त्रुटिपूर्ण (erroneous) निर्णय एवं अभिलेख को देखने मात्र से प्रकट होने वाली त्रुटि (error apperent on the face of record) समान नहीं है। एक निर्णय में लिया गया निष्कर्ष या अवधारणा (View) गलत (erroneous) हो सकती है, परन्तु यह पुनरावलोकन का आधार नहीं हो सकती। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में उठाये गए बिन्दु एरर अपेरेन्ट ऑन दी फेस ऑफ दी रिकार्ड की श्रेणी में नहीं आते हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा पेश पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

8. अतः उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण/अपीलान्ट्स प्रार्थना–पत्र पुरावलोकन सारहीन होने से खारिज किया जाता है एवं न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत रखे जाते हैं।
9. निर्णय आज दिनांक 26.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।
10. पत्रावली में और कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसलशुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर